न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 14 / 2026	2026 / 29	18.02.2026	01.06.2026

1. सोहनलाल पुत्र चन्दर माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।
2. महादेवा पुत्र चन्दर माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान ।
3. किशनलाल पुत्र सेडिया बैरवा निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।
4. भगवान सहाय पुत्र हरपाल बैरवा निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हिमाचल सुरेन्द्र कुमार सिंह पत्नि स्व. सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी ए–145, आशियाना गार्डन, भिवाडी, राजस्थान।
2. नवदर्शनी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जरिये सरपरस्त माता श्रीमति हिमाचल सुरेन्द्र कुमार पत्नि श्री स्व. सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ए–145, आशियाना गार्डन, भिवाडी।
3. कु. रुकसाना पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर। निवासी ए–145, आशियाना गार्डन, भिवाडी।
4. भुनेश्वरी पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर। निवासी ए–145, आशियाना गार्डन, भिवाडी।
5. अनीमिका पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह नरूका निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर। निवासी ए–145, आशियाना गार्डन, भिवाडी।
6. नपेन्द्र कुमार सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र ठाकूर सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा स्थायी पता कोठी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, अलवर राजस्थान।
7. घनश्याम सिंह पुत्र ठाकूर श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा स्थायी पता कोठी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, शहर अलवर राजस्थान।
8. गिरधर सिंह पुत्र ठाकूर श्री रघुवीर सिंह ठाकूर सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा स्थायी पता कोठी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, अलवर राजस्थान।
9. शिवसिंह पुत्र ठाकूर श्री रघुवीर सिंह ठाकूर सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा स्थायी पता कोठी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, अलवर राजस्थान।
10. मीरा कुमारी पुत्री ठाकूर श्री रघुवीर सिंह ठाकूर सिंह निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा स्थायी पता कोठी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, अलवर राजस्थान।
11. गोविन्द कंवर बाईसाहब पुत्री नामालूम निवासी प्रेम कुन्ज, सर्किट हाउस के पास, अलवर राजस्थान। (मृतक)
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज०।

– अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–

उपस्थितः–

01– श्री संजीव जैन –वकील प्रार्थी

02– श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत –वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 5,7 व 10

03– श्री दीपक मीना –पैरोकार सरकार

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के प्रकरण बअनुवान सोहनलाल बनाम हिमाचल सुरेन्द्र कुमार सिंह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 19, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर में विचाराधीन है जिसमें विगत तारीख पेशी 17.02.2026 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 508 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 505 जो कि कुआं मानसरोवर ग्राम बीजवाड नरूका के नम्बर हैं। उक्त ग्राम अलवर रियासत में जागीर का गावं रहा हैं। ठाकुर रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह भूतपूर्व जागीरदार ग्राम बीजवाड नरूका की जागीरदारी की भूमि थी। जिस आराजी को करीब 70 वर्षों से अधिक समय से वादीगण और उनके बुजूर्गान काबिज होकर कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे थे। जिस आराजी की बाबत एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 19 व 188 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपजिलाधीश महोदय, मालाखेडा की अदालत में बअनुवानी सोहनलाल व अन्य बनाम हिमाचल सुरेन्द्र कुमार सिंह बगैराह विचाराधीन चला आ रहा हैं। जिसमे आगामी तारीख पेशी 17.02.2026 नियत हैं। उक्त अनुवानी राजस्व वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करायी जाकर अपना जवाब दावा पेश किया जा चुका हैं। तत्पश्चात वर्तमान में उक्त वाद पत्रावली वास्ते तनकी/साक्ष्य वादीगण हेतु नियत चली आ रही हैं। वाद वर्णित प्रश्नगत आराजी मुतनाजा पर मिन वादीगण का भौतिक कब्जा चला आ रहा हैं, किन्तु प्रतिवादीगण, भू–माफियाओं व प्रोपर्टी डीलरों से मिल्लत कर नुमाईशी इकरारनामा तहरीर तकमील कर विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्गनत आराजी पर से मिन वादीगण को जबरन बेदखल क्रर पुख्ता निर्माण करने की जुस्तजू में हैं। जिसके लिये प्रतिवादीगण व तुलसी यादव भू–माफिया व पूंजीपतियों द्वारा मिन वादीगण को ऐलानिया तौर पर नियमित धमकी दी जा रही है कि उपजिलाधीश मालाखेडा पीठासीन अधिकारी से बात हो गई तथा उक्त पत्रावली को बिना साक्ष्य लेखबद्ध कराये ही बहस सुनी जाकर शीघ्र ही हमारे पक्ष में निस्तारण करवा लिया जावेगा तत्पश्चात प्रश्नगत आराजी पर भौतिक कब्जा कर निर्माण वगैरा कर लिया जावेगा। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा भी पत्रावली में साक्ष्य लेखबद्ध नही करायी जाकर बहस अन्तिम करने हेतु मिन वादीगण पर दबाव बनाया जा रहा है तथा पत्रावली में छोटी–छोटी तारीख पेशी 30.01.2026 से 13.02.2026 तत्पश्चात पेशी 17.02.2026 हेतु नियत कर दी गई हैं तथा मौखिक रूप से यह कह दिया गया है कि यदि आगामी पेशी पर बहस नही गई तो उक्त पत्रावली का निस्तारण कर दिया जावेगा। उक्त अनुवानी राजस्व वाद में वर्णित प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर–चालाक, राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में विधि अनुसार प्रक्रिया का पालना ना कर अहलमद व पीठासीन अधिकारी से साजबाज होकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण व प्रोपर्टी डीलरो द्वारा अहलमद व

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पर उक्त प्रकरण का निरतारण करने का पूर्ण दबाव बना दिया गया हैं। अधिनरथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के राजरव वाद में अवैधानिक व अनियमित तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी जा रही है कि उक्त प्रकरण अतिशीघ्र पीठासीन अधिकारी से मिलकर फैंसला प्रतिवादीगण के पक्ष में कराके रहेंगें। जिससे मिन प्रार्थी/वादीगण को अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपनायी जा रही न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्ण सन्देह पैदा हो गया है तथा यह मन में विश्वास व डर पैदा हो गया कि उक्त मुकदमें में बिना गुण–अवगुण के ही प्रार्थीगण के खिलाफ फैसला होकर रहेगा। अधिनरथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा राजस्व वाद में पत्र साक्ष्य लेखबद्ध नही करायी जाकर सीधे ही बहस सुनने का फरमान जारी कर दिया गया हैं। जिसकी बाबत प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की जाती रही है कि उक्त प्रकरण का निरतारण दीवानी प्रक्रिया संहिता, राजरथान काश्तकारी अधिकारी के प्रावधानों का पालन कर विधि सम्मत तरीके से गुण–अवगुण के आधार पर करें। किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की मौखिक आपत्ति को नियमित नजरअन्दाज किया जाता रहा है। अप्रार्थीगण एक ही परिवार के काफी होशियार, चालक व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण राजनैतिक व आर्थिक रूप से काफी समृद्धशाली है तथा स्थानीय प्रशासन में अप्रार्थीगण के काफी रसूखात है तथा प्रार्थी/वादीगण सीधे–साधे सरल ग्रामीण काश्तकार है। तथा भारतीय संवैधानिक न्याय व्यवस्था मे पूर्ण विश्वास रखते हैं जिस न्याय व्यवस्था मे प्रार्थीगण का विश्वास कायम बना रहे। इसलिए उप जिलाधीश मालाखेडा की अदालत मे उभय पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद का स्थानान्तरण किसी दीगर सक्षम अदालत मे किया जाना न्याय की दृष्टि से न्यायोचित व न्यायसंगत है। उक्त राजस्व वाद मे उप जिलाधीश मालाखेडा द्वारा अनियमित, उदासीन व बेरूखी पूर्ण तानाशाही पूर्वक कार्यवाही की जा रही हैं। जिससे प्रार्थी को न्याय की कोई गुजांईश नही रह गई है। प्रार्थी/वादीगण द्वारा अधिनरथ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि मय ऑडर्र शीट प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2026 को पेश किया जा चुका है किन्तु अहलमद द्वारा प्रार्थीगण को प्रमाणित प्रतिलिपि उसी जारी करने से इंकार कर दिया गया। न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त हैं कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नही हैं, अपितु न्याय करने का आभास पक्षकार को होना चाहिए तथा प्रथम दृष्टया ही उभय पक्षकारान को यह लगना चाहिए कि वास्तव मे कानून सम्मत तरीके से सही निर्णय हुआ हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनरथ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अनुवानी राजस्व वाद सोहनलाल बनाम हिमाचल सुरेन्द्र कुमार सिंह न्यायालय उपजिलाधीश मालाखेडा की अदालत से किसी सक्षम अलवर न्यायक्षेत्र में स्थित राजस्व अदालत मे मुन्तकिल किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन झूठे व गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष एवं विधि–अनुसार सुनवाई न्यायालय की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल पर टिप्पणी प्राप्त हुई है कि प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 3 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 4 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 5 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

नं0 6 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 7 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 8 वादी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 9 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 10 के अनुसार यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 11 असत्य है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 12 स्वीकार है। यदि प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है तो श्रीमान उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने नियत से पेश किया है। फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी उक्त विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहते हैं फिर भी उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गए जिससे साबित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की रूचि दिखाई गई हो और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है। जिससे प्रार्थी का प्रा0–पत्र मुंतकिल अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर अलवर (राज0)
राजस्थान